न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2019(2019/00070)

1. महावीर पुत्र श्री छगनलाल ।
2. शंकरलाल पुत्र श्री छगनलाल।
   जाति रेगर निवासी सदारी का झौंपड़ा तहसील सावर जिला अजमेर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. दौलत पुत्र श्री देवकिशन जाति बैरवा निवासी सदारी तहसील सावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब सावर।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित:–

श्री सांवरलाल चौधरी – वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार सावर) – अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 30.5.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम सदारा तहसील सावर की निम्नानुसार है।

खाता सख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
236–240	1229	0.40	जाव

उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण की है तथा उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की एकमात्र कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग, उपभोग की आराजीयात है। उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में रामकरण पुत्र रतनाबैरवा के नाम दर्ज थी, वर्णित आराजीयात को प्रार्थीगण ने रामकरण से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तथा प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में खेत पर आने–जाने हेतु बैल, गाड़ी, मवेशी, ट्रेक्टर, कृषि उपज ले जाने हेतु खसरा नम्बर 1235 की दक्षिणी ओर स्थितमेड़ से एकमात्र कदीमी रास्ता स्थित है तथा प्रार्थीगण रास्ते को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए रास्ते के उपयोग में कदीम से ही लेते चले आ रहे है तथा इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेत पर आने–जाने हेतु बैल, गाड़ी, मवेशी, ट्रेक्टर, कृषि उपज लाते ले जाते है । रामकरण व दौलत आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उक्त पैतृक सम्पत्ति है, तभी से ही उक्त एकमात्र रास्ते का ही उपयोग होता चला आ रहा है प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात में आने जाने के लिए रिकोर्डेड रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण पूर्व खातेदारान के समय से ही उक्त खसरा नम्बर 1235 की दक्षिणी तरफ की मेड़ पर से होकर अपनी आराजीयात में आने जाने के उपयोग में लेते चले आ रहे है। लेकिन अप्रार्थी सं. 1 ने खसरा नं. 1235 की दक्षिणी मेड़ पर थोर के पौधे रोपकर प्रार्थीगण के एकमात्र रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से रास्ते को अवरूद्ध नहीं करने बाबत् निवेदन किया तो वे प्रार्थीगण से लडाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये तथा कहा कि तुम्हारा इस रास्ते से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की आराजी पर आने जाने से रोकने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण अपने खेत पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु अप्रार्थीगण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अप्रार्थीगण तहसीलदार साहब ने कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ। वाद का मूल कारण सर्वप्रथम दिनांक 20.03.2019 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी सं. 1 ने खसरा नं. 1235 की दक्षिणी मेड़ से होकर स्थित रास्ते को अवरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.01 13:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

किया तब से उत्पन्न हुआ तथा अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थीगण को खसरा नंबर 1235 की दक्षिणी मेड पर से पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु 15 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जावे, जिस हेतु अप्रार्थीगण को आदेश दिया जावे कि पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु 15 फीट चौडे आम रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर नक्शा ट्रेश में तरमीम किया जावे। उक्त 15 फीट चौडे आम रास्ते हेतु खर्चा प्रार्थीगण अदा करने को तैयार एवं तत्पर है

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 जरिये तहसीलदार सावर द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:–
वादी महावीर शंकरलाल पिता छगनलाल रेगर व प्रतिवादी दौलत पुत्र देवकिशन जाति बैरवा साकिम देह मौके पर उपस्थित के साथ ग्राम सदारी में स्थित आराजी खसरा नंबर 1229 व 1235 का मौका देखा गया। वादी की खातेदारी भूमि आराजी 1229 के रास्ते पर आने जाने हेतु आराजी खसरा नंबर 1235 में होकर रास्ता उपयोग कर रहे है जो मौके पर खसरा संख्या 1236 गै.मु.रास्ता पर मिलता है वर्तमान में वादीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नही है खसरा नंबर 1235 में प्रस्तावित रास्ता की लम्बाई 68मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रास्ते जिसकी वर्तमान डी. एल.सी रेट 264627 प्रतिहैक्टर, उक्त रास्ते में उपयोग मे आयी भूमि 272वर्गमीटर का 7198रूपये की दुगुनी किमत 14396रूपये बनती है उक्त राशि प्रार्थीगण देने हेतु तत्पर है

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1229 पर आने जाने हेतु आराजी खसरा नंबर 1235 में होकर रास्ता उपयोग कर रहे है। जो मौके पर 1236 गै.मु.रास्ता पर मिलता है। जो कि निकटतम रास्ता जो मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकन है निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 1229 में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता ग्राम सदारी के खसरा नंबर 1235 में से होकर रास्ता उपयोग कर रहे है जो मौके पर खसरा नंबर 1236 गै.मु.रास्ता पर मिलता है अतः खसरा संख्या 1235 में से रास्ते की लम्बाई 68मीटर व चौडाई 4मीटर कुल रास्ते का क्षेत्रफल 272वर्गमीटर का सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार सावर द्वारा प्रार्थीगण से उक्त रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की नियमानुसार वर्तमान डी.एल.सी रेट से 14396रूपये बनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये सूचित करा राशि उपलब्ध करावे, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम सदारी के खसरा नंबर 1229 मे आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.01 13:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner